

दिनांक 20 मई, 2013 से प्रभावी विदेशी लेनदेनों पर संशोधित से प्रभार

| लेनदेन के प्रकार | संशोधित प्रभार |
|--|---|
| <p>1. प्रत्येक विदेशी मुद्रा एवं रूपये बिल क्रय/बट्टाकृत/परक्रामण हेतु</p> <p>वसूली हेतु भारत में अन्य बैंक को अग्रेषित पीसीएफसी/ईबीआरडी एवं निर्यात दस्तावेज के अंतर्गत वसूली/बिल</p> | <p>- रू.1000/- एक समान प्रति बिल (अधिकतम 4 जीआर/एसडीएफ सॉफ्टेक्स सहित).</p> <p>- प्रत्येक अतिरिक्त जीआर/एसडीएफ सॉफ्टेक्स हेतु रू. 250/-</p> |
| <p>2. निर्यात हेतु साख पत्र के अंतर्गत प्रतिपूर्ति प्रभार</p> | <p>- रू. 1000/- एक समान प्रतिपूर्ति</p> |
| <p>3. आयात साखपत्र के अंतर्गत असंगत दस्तावेजों के विरुद्ध उनके द्वारा भुगतान जारी हेतु निर्यातक द्वारा विदेशी बैंक के पक्ष में गारंटी/क्षतिपूर्ति का जारीकरण</p> | <p>- बिल राशि का 0.25%</p> <p>- न्यूनतम : रू. 500/-</p> |
| <p>4. सभी अतिदेय निर्यात बिल (वसूली/एवं ईबीआरडी के अंतर्गत प्रेषित क्रय/बट्टाकृत/परक्रामण</p> | <p>- एक समान रू. 500/- प्रति बिल प्रति तिमाही अथवा उसका भाग. (वसूली की तारीख तक देयतिथि से अवधि हेतु)</p> |
| <p>5. प्रत्यक्ष बिल अर्थात् निर्यातक फेमा प्रावधान अनुपालन के पश्चात विदेशी क्रेता को सीधे प्रेषित बिल जैसे :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% अग्रिम भुगतान प्राप्त लेनदेन अविकल्पी साख पत्र के अंतर्गत कवर साखपत्र शर्तें अनुमत करती हैं अथवा <p>-जहां केन्द्रीय कार्यालय ने विशेष अनुमति प्रदान की है.</p> | <p>- रू. 250/- प्रति जीआर/एसडीएफ सॉफ्टेक्स</p> <p>- न्यूनतम : रू.1000/-</p> |
| <p>6. जहां हमारे बैंक द्वारा एलसी/निर्यात आदेश के विरुद्ध पूर्व पोतलदान अग्रिम स्वीकृत किया गया है लेकिन संबद्ध साखपत्र/निर्यात आदेश के अंतर्गत दस्तावेज दूसरे बैंक के माध्यम से पराक्रमण</p> | <p>-विनिमय के एवज में कमीशन @0.04%</p> <p>-न्यूनतम : रू. 500/-</p> <p>-अधिकतम रू. 25,000/-</p> |

| विनिमय के एवज में कमीशन | संशोधित प्रभार |
|---|--|
| 7. निर्यात बिल वसूली हेतु प्रेषित तथा भुगतान भारत में दूसरे बैंक के माध्यम से रूपयों में प्राप्त | - विनिमय के एवज में कमीशन @0.04% - न्यूनतम : रू. 500/- - अधिकतम रू. 25,000/- |
| 8. जहां पीसीएफसी ऋण आयात बिलों के भुगतान हेतु उपयोग किया गया है (लेनदेन कक्ष को रिपोर्ट कि बिना) | - 0.04% - न्यूनतम : रू. 500/- |
| 9. समय-समय पर भारिबैं/एक्विजि नीति द्वारा परिभाषा के अनुसार विदेशी मुद्रा में डीमड निर्यात बिल | - 0.04% - न्यूनतम : रू. 500/- - अधिकतम रू. 25000/- |
| 10. सूचना प्रदाता साखपत्र | - रू.1000/- प्रति साख पत्र |
| 11. सूचना प्रदाता संशोधन | - रू.500/- प्रति संशोधन |
| 12. पुष्टीकरण प्रभार ए. से प्रतिबद्धता प्रभार बी. मीयादी प्रभार - 10 दिनों तक दर्शनी बिल - 10 दिनों से ऊपर एवं 3 महीनों तक - 3 महीनों से अधिक बिल एवं उसका भाग | ए. पुष्टीकरण जोड़ने की तारीख से साखपत्र की समाप्ति की तारीख तक @ 0.15 %प्रति तिमाही अथवा उसके भाग की दर से प्रतिबद्धता प्रभार प्लस बी. बिल की अवधि के अनुसार मीयादी बिल @0.25 %प्रति तिमाही अथवा उसके भाग की दर से प्रतिबद्धता प्रभार उपर्युक्त दोनों के लिए एक तिमाही हेतु कमीशन वसूला जाएं. |
| 13. हस्तांतरणीय साखपत्र | - रू.1000/- साख पत्र के प्रत्येक स्थानांतरण हेतु - रू.500/- प्रति संशोधन हेतु |
| 14. भारत में बैंकों द्वारा आहरित एवं स्वीकार्य मीयादी बिलों हेतु मांगी गई सभी साख पत्र पर | - 0.15 प्रति माह - न्यूनतम : रू. 1000/- |

| | |
|---|--|
| 15. निर्यात लेनदेनों के मामले में प्रमाणपत्रों/सत्यापनों का जारीकरण | - रू. 200/- प्रति प्रमाणपत्र एक समान (बीआरसी/बीआरसी, आदि का सत्यापन |
| II आयात | |
| 16. आयात साखपत्र का खोलना (परिक्रामी साखपत्र सहित | |
| लेनदेन का प्रकार | संशोधित प्रभार |
| ए. प्रतिबद्धता प्रभार + बी. मीयादी प्रभार i. 10 दिनों तक दर्शनी हेतु बिल ii. 3 महीनों तक एवं उसके भाग के बिल iii. 3 महीनों से अधिक एवं उसके भाग के बिल सी. साख पत्र स्थापित हेतु न्यूनतम प्रभार डी. प्रतिभूति के रूप में 100% नकद जमा के विरुद्ध साख पत्र स्थापित करने के मामले में | - 0.15% प्रति तिमाही अथवा उसका भाग प्लस -दर्शनी (अधिकतम 10 दिन) 0.15% एक समान -3 महीनों तक के मीयादी बिलों के लिए 30% एक समान - 3 महीनों से अधिक के मीयादी बिलों पर 0.10% प्रति माह अथवा उसका भाग - रू. 750/- प्रति साख पत्र - उपर्युक्त प्रतिबद्धता एवं मीयादी प्रभारों का 25% - न्यूनतम : रू. 750/- |
| ए. साखपत्र की वैधता का विस्तारीकरण जो 3 महीने की अवधि के अंतर्गत आता है जिसके लिए प्रतिबद्धता प्रभार पहले ही वसूल किये गये हैं | - रू. 750/- |
| बी. जहां संशोधन साखपत्र में राशि में अपरिवर्तन के साथ साखपत्र की अवधि वैधता 3 माह से उनर विस्तारीकरण हेतु है. | - विस्तारित अवधि के लिए 16 ए पैरा के अनुसार नवीन प्रतिबद्धता एवं मीयादी प्रभार - न्यूनतम : रू. 750/- |
| सी. साख पत्र की मूल वैधता अवधि में अपरिवर्तन के साथ साख पत्र की राशि में वृद्धि के मामले में | - 16ए एवं बी के अनुसार वृद्धि राशि के लिए वसूला जाए. न्यूनतम : रू. 750/- |

| 17. साख पत्र में संशोधन | संशोधित प्रभार |
|---|---|
| डी. विनिमय पत्र की अवधि के बदलाव के मामले में | विस्तारित अवधि पर उपयुक्त अतिरिक्त मीयादी प्रभार उपर्युक्त 16 वी के अनुसार वसूला जायेगा. न्यूनतम : रू. 750/- |
| ई. वैधता विस्तारीकरण अथवा मूल्य वृद्धिकरण के अलावा संशोधन | रू. 750/- प्रति संशोधन |
| एफ. समाप्ति की तारीख से 3 माह के अंदर समाप्त साखपत्र के पुनःप्रवर्तन/पुनःस्थापन हेतु | नवीन प्रतिबद्धता एवं मीयादी प्रभार मद सं 16 में प्रदर्शित दर के अनुसार पुनर्जीवित साखपत्र की अवधि वैधता तक समाप्त की तारीख से प्रभारित होंगे न्यूनतम : रू. 750/- |
| आस्थागित आयात : | |
| 18. माल के आस्थागित आयात को रक्षित साखपत्र | - देयता की राशि पर 0.50 % प्रति तिमाही |
| साखपत्र के अंतर्गत आयात बिलों पर कमीशन | |
| 19. साखपत्र के अंतर्गत विदेशी मुद्रा आयात बिल (अग्र भुगतान के समय) | - बिल राशि पर 0.15% प्रति बिल - न्यूनतम : रू. 1000/- - अधिकतम रू. 25000/- |
| साखपत्र के अंतर्गत आयात बिल पर कमीशन | |
| 20. आयात साखपत्र के अंतर्गत रूपी बिल | - 0.25% - न्यूनतम : रू. 1000/- - अधिकतम रू. 25000/- |
| 21. साखपत्र के अंतर्गत नहीं आयात बिलों पर कमीशन | - |
| साखपत्र द्वारा अरक्षित वसूली के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा आयात बिल | - 0.20% - न्यूनतम : रू. 750/- - अधिकतम रू. 25000/- |
| 22. विदेशी मुद्रा आयात बिलों पर कमीशन जहां विनिमय प्रतिलाभ उपलब्ध नहीं है अर्थात ईईएफसी खाता पीसीएफसी ऋण क्रयकर्ता की जमा निधियों से अग्रभुगतान बिल | - बिल की राशि का 0.04% - न्यूनतम : रू. 1000/- - |
| 23. बिना किसी विनिमय लाभ के रूपया आयात बिल | - 0.35 % - न्यूनतम : रू. 1000/- - अधिकतम रू. 40000/- |

| | |
|---|---|
| 24. आयात साखपत्र के अंतर्गत विसंगति प्रभार | - रूपये में 75 यूएस डालर के बराबर |
| 25. साखपत्र के अंतर्गत आयात बिलों का क्रिस्टाइलेशन - दर्शनी पर आयात बिल 10 दिनों के भीतर विमोचित नहीं एवं देय तिथि पर मीयादी बिलों का विमाचन नहीं. | - 0.10% प्रति बिल - न्यूनतम : रू. 1000/- प्रति बिल |
| 26. सरकार सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत प्रोजेक्ट आयात रक्षित वसूली बिल/दस्तावेज | - 0.25 % राशि के बावजूद प्रत्येक आहरण पर - - |
| 27. आयातकों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष आयात दस्तावेज | - 0.10 % प्रति बिल न्यूनतम : रू. 750/- - अधिकतम रू. 20000/- |
| 28. आयात बिलों का प्रतिहस्ताक्षत/सह-स्वीकार/प्राप्यता | - बिल की अवधि के लिए 0.10 % प्रति माह जहां विनिमय बिल 3 माह से कम हेतु आहरित है. - न्यूनतम : @0.30% |
| विनिमय के एवज में कमीशन | |
| 29. हमारे द्वारा स्थापित साखपत्र के मामले में जिसमे लिए एफसीएल विदेश द्वारा भुगतान निपटान किया गया है. | - 0.04% |
| 30. हमारे द्वारा स्थापित साखपत्र के मामले में जिसके द्वारा ईईएफसी निधियों के द्वारा भुगतान निपटान किया गया है | - 0.04% |
| 31. साख पत्र द्वारा अरक्षित बिल उपर्युक्तानुसार भुगतान | - 0.04% - |
| आवक धनप्रेषण | |
| 32. आवक धनप्रेषण जिसके मामले में लिए नोस्ट्रों खातों में कवर प्राप्त हुआ है. | - हमारे ग्राहकों हेतु कमीशन नहीं - (चूंकि बैंक विदेशी विनिमय पर विनिमय मार्जिन लोड होगा पुनः प्रभार नहीं वसूला जायेगा) एफआईआरसी प्रभार रू. 150/-की दर से वसूले जायेंगे. - गैर ग्राहकों हेतु, लेनदेन कक्ष द्वारा विनिमय दर में विनिमय मार्जिन प्रभार के अतिरिक्त शाखा एक रू. 150/- पर एक समान कमीशन रू.200/-+एफआईआरसी प्रभार प्रभारित करेगी. |
| 33. ग्राहक के व्यक्तिगत चेक मांग ड्राफ्ट, मनीआर्डर बैंकर्स चेक की खरीद | - न्यूनतम 15 दिनों अथवा वास्तविक अवधि के लिए @ आधार दर + 6% + डाक व्यय रू. 250/- वसूला जायेगा. - यदि प्राप्तियां हमारे बैंक में एनआरई मीयादी जमाओं में जमा होती है |

| | |
|--|---|
| | 15 दिनों तक कोई ब्याज वसूला नहीं जायेगा. (ऐसे मामलों में लिखतों के संग्रह तक ग्राहकों को जमा प्राप्तियां को अलग नहीं किया जायेगा) लेकिन रु. 250/- डाक व्यय वसूला जायेगा. |
| 34. विदेश में प्रेषित सभी बेजमानती लिखतों पर | - 0.10% - न्यूनतम : रु. 250/- - अधिकतम रु. 5000/- |
| 35. विदेश से और/अथवा विदेशी मुद्रा यात्री चेकों/विदेशी मुद्रा नोट के नकदीकरण के मामले में प्रतिभूति पेपर/पत्र शीर्ष पर जारी प्रमाणपत्रों हेतु | - रु. 150/- प्रति प्रमाणपत्र |
| जावक धनप्रेषण | - |
| 36. आयात भुगतानों के जैसे शिक्षा शुल्क/चिकित्सा व्ययों/उपहारों/दानों/ 2लाख यूएस डॉलर तक उदारीकृत धनप्रेषणों आदि पर सभी विदेशी जावक धनप्रेषणों पर | - 0.125 % - न्यूनतम : रु. 300/- - अधिकतम रु. 10,000/- |
| विविध अनुदेश | - |
| 37. अदाकर्ता बैंक द्वारा पूर्ववर्ती ड्राफ्ट जिसके साथ संबद्ध विदेशी मुद्रा राशि एफसीएनआर खाता में जमा की गई के लाभार्थी बैंक के पक्ष में अपना स्वयं का ड्राफ्ट मुद्रा में जारी करने के द्वारा विदेशी मुद्रा मांग ड्राफ्ट का भुगतान | - रु. 250/- प्रति ड्राफ्ट |
| 38. आयात के विरुद्ध अग्रिम धनप्रेषण के मामले में : - विनिमय लाभ सहित - विनिमय लाभ के बिना अर्थात ईईएफसी/डीडीए/पीसीएफसी खातों से बाहर | - 0.125 % - न्यूनतम : रु. 1000/- - अधिकतम रु. 20,000/- - 0.04 % - न्यूनतम : रु. 1000/- - अधिकतम रु. 20,000/- |
| | |
| 39. निर्यात निष्पादन गारंटी | - 045 % प्र.व. (75 % ईसीजीसी कवरेज के साथ) |
| 39. विदेशी क्रेता के पक्ष में बोली बोली बॉन्ड बकाया जमा राशि, अग्रिम भुगतान गारंटी सहित निर्यात निष्पादन निर्यात निष्पादन गारंटियां (प्रोजेक्ट निर्यात) | - 0.35 % (90 % ईसीजीसी कवरेज के साथ) इसके अतिरिक्त ईसीजीसी प्रीमियम जो भी लागू हो प्रारंभिक तौर पर वसूले जायें तथा ईसीजीसी को भुगतान किये जायें. |

| | |
|---|--|
| <p>40. निर्यात निष्पादन गारंटी (प्रोजेक्ट निर्यात के अतिरिक्त) विदेशी क्रेता के पक्ष में बोली बॉन्ड, बयाना जमा राशि, अग्रिम भुगतान गारंटी सहित निर्यात निष्पादन गारंटियां</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 1.00% प्र.व. - 1 तिमाही अथवा रू. 1000/- के लिए न्यूनतम @ 0.25% जो भी उच्च हो. - निर्यातक द्वारा पृथक रूप से ईसीजीसी कवर लेने के मामले में 50% रियायत |
| <p>41. शिपिंग कंपनियों के पक्ष में गारंटियां: (बी/एल के लंबित माल उत्पादन के निपटान हेतु)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - बीजक राशि पर 0.25% प्रति तिमाही न्यूनतम रू.1000/- |
| <p>42. आस्थगित भुगतान गारंटियां</p> | <ul style="list-style-type: none"> - (प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में देयता की राशि पर गणना के अनुसार) देयता के निर्धारित अवधि के लिए 0.50% |
| <p>43. पूर्व शोधन के मामले में कमीशन की वापसी</p> | <ul style="list-style-type: none"> - शाखा प्रभारी के रूप में स.म.प्र./उ.म.प्र., क्षे.प्र., व.क्षे.प्र. फील्ड महाप्रबंधक, आंचलिक प्रबंधक असमाप्त अवधि के लिए कमीशन के 50% तक वापसी के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति के तहत विचार कर सकते हैं. |
| <p>44. सभी अन्य गारंटियां (उपर्युक्त में शामिल नहीं)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 0.15 % प्रति माह न्यूनतम रू. 1000/- - भारत सरकार की 100 % काउंटर गारंटी के विरुद्ध जारी गारंटियां एवं जो 100 % नकद मार्जिन के विरुद्ध जारी: - सामान्य दरों के 25% पर अर्थात्, @0.0375 % प्रति माह प्रभारित होगी. |
| <p>ए. विक्रय एवं खरीद संविदाओं की बुकिंग हेतु</p> | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 1000/- प्रति संविदा - <input type="checkbox"/>अनिवासी भारतीयों के लिए – निरंक |
| <p>बी. संविदाओं की पूर्व सुपुर्दगी विस्तारीकरण अथवा निरस्तीकरण के लिए ग्राहक से प्रत्येक अनुरोध हेतु</p> | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 1000/- प्रति संविदा - <input type="checkbox"/>अनिवासी भारतीयों हेतु – निरंक |
| <p>1. चुकौती आश्वासन पत्र/बचन बद्धता/क्रेता के ऋण/आपूर्तिकर्ता के ऋण लेने हेतु गारंटियां</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 0.75 % प्रति तिमाही अथवा उसका भाग |
| <p>2. शिपिंग दस्तावेजों (आयातों) की लंबित पावतियों हेतु आदेश जारीकरण</p> | <ul style="list-style-type: none"> - प्रत्येक जारी आदेश हेतु रू. 1000/- |

| | |
|---|--|
| 3. विदेशी व्यापार | <ul style="list-style-type: none"> - प्रति लेनदेन पर 0.15 % - न्यूनतम रू. 1000/- - साख पत्र (आयात एवं निर्यात) को लागू प्रभार पृथक रूप से वसूला जायेगा. |
| 4. आपाती साख पत्र | <ul style="list-style-type: none"> - देयता की निर्धारित अवधि के लिए 0.15 % प्रति माह 100% नकद मार्जिन के मामले में उपर्युक्त दरों का @25% कमीशन न्यूनतम रू. 1000/- - |
| 5. <u>स्विफ्ट प्रभार :</u> | <ul style="list-style-type: none"> - पूर्णता साखपत्र हेतु रू. 1500/- - <input type="checkbox"/> अन्य संदेशो हेतु रू. 500/- |
| 6. निर्धारित अवधि से ऊपर निर्यात आगमों के वसूली हेतु अवधि विस्तार के लिए भरिबैं का आवेदन(ईटीएक्स फॉर्म का प्रस्तुतीकरण) | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 1000/- प्रति आवेदन |
| 7. प्रविष्ट पत्र की अनुवर्ती कार्रवाई | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 250/- प्रति बिल प्रति अर्द्धवार्षिक वर्ष - |
| 8. निर्यात बिलों के अपलिखत करने हेतु अनुमोदन | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 1000/-प्रति बिल |
| 9. सरकारी पावती अधित्याग प्रमाण पत्र का जारीकरण | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 500/- प्रति सरकारी पावती |
| 10. भारिबैं को किसी अन्य आवेदन के प्रसंस्करण हेतु | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 1000/- |
| 11. अन्य बैंकों के साथ अनुरोधों के दर्ज करने हेतु | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 500/- |
| 12. विदेशी बैंकों को भारतीय कंपनियों पर वाणिज्यिक सूचना | <ul style="list-style-type: none"> - यूएसडालर 50/- |
| 13. आयातक/निर्यातक कोड के आवेदन हेतु बैंक प्रमाणीकरण | <ul style="list-style-type: none"> - रू. 500/- |